

[Shri K. A. Rajan]

This closure step would virtually mean, throwing out students on the verge of completion of their research.

No university order was passed and yet the authorities arbitrarily changed the basic structure of the Centre.

Therefore, I urge upon the Government to put a stop to this ill-advised move to close the said Centre.

(v) NEED FOR SETTING-UP A BENCH OF ALLAHABAD HIGH COURT AT BAREILLY.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच खोले जाने के लिए बरेली व उसके आसपास के 8, 10 जिलों के वकील कई दिन से हड़ताल कर के व अदालतों का बहिष्कार कर के सार्वजनिक सभाओं व जुलूसों का आयोजन कर रहे हैं। मुद्र पर्वतीय क्षेत्रों में पिथौरागढ़, चमोली, देहरा, अल्मोड़ा नौताल के निवासियों को भी बरेली में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित होने से अन्यायिक लाभ होगा। वकीलों व जनता की यह मांग सर्वथा उचित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अठारह हजार मुकदम अनिर्णीत पड़े रहना भी इन मांग का औचित्य सिद्ध करता है। अतः सार्वजनिक महत्व के इस प्रश्न पर भी माननीय विधि एवं न्याय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए बरेली में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग करता हूँ।

(vi) REPORTED DISAPPEARANCE OF A DISTRICT AND SESSIONS JUDGE OF RAJASTHAN SINCE 16TH MARCH, 1981.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL (Kota): A District and Session Judge of Rajasthan disappeared mysteriously since March 16, 1981. Shri Mangat

Ram Mitruka of Jaunjhuni, who is under transfer orders, left the residence of Shri R. L. Gupta in pursuit of some persons moving outside the house in suspicious circumstances. Shri Mitruka had come to Delhi with documentary evidence to expose the corruption prevailing in Rajasthan Judiciary. Shri Mitruka had met Chief Justice of India, on March 9 about the documents in his possession. Some suspicious persons were following Shri Mitruka around in Delhi and visited his room in Birla Mandir where he was staying. Later on he shifted to the residence of Shri R. L. Gupta, Additional District Judge, Delhi. But even at the residence of Shri Gupta, some persons were after him. On March 16, Shri Mitruka went after the persons standing outside the house of Shri Gupta in suspicious circumstances. Shri Mitruka had collected documentary evidence on corruption in the Rajasthan judiciary in his capacity as Vigilance Register of the Rajasthan High Court. In the past Shri Mitruka had received several threats to his life. His sudden mysterious disappearance has caused serious concern I request the Union Law and Home Ministers to help in tracing Shri Mitruka.

(vii) STEPS TO IMPROVE DISTANT COMMUNICATION FACILITIES IN BACKWARD DISTRICTS OF UTTAR PRADESH.

श्री हरीश चन्द्र सिंह राखन (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जनपद दूरसंचार सेवाओं के संदर्भ में बहुत गिछड़े हुए हैं, जिनके कारणस्वरूप यहाँ के लोगों को बहुत अधिक अशुविधा का सामना करना पड़ता है :—

(1) यहाँ के जनपदों के मुख्यालयों को माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा लखनऊ व देहली से जोड़ा जाना आवश्यक है, ताकि प्रदेश की व देश की राजधानी से यहाँ के लोगों का सीधा सम्बन्ध जुड़ सके।

(2) यहाँ पीस्ट आक्रितों व पब्लिक कान्. आक्रितों की खोले जाने के संबंध में विभाग के वर्तमान मानकों को बदला जाना आवश्यक है, ताकि यहाँ अधिक से अधिक पीस्ट आक्रित व पब्लिक काल आक्रित खुल सकें। वर्तमान समय में कई दूरस्थ क्षेत्रों का सम्पर्क ज़िम्मा व तहसील मुख्यालयों से नहीं है। इसके अभाव में न केवल यहाँ प्रशासन कुप्रभावित होता है, अपितु स्थानीय जनता भी इन वर्तमान सुविधाओं से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रह जाती है। यहाँ कई क्षेत्रों में स्थानीय सब-पीस्ट आक्रित में डाक आने के बाद तीन दिन डाक के बंटने में लग जाते हैं।

(3) अल्मोड़ा नामक स्थान में डी ई टो का मुख्यालय खोला जाये, ताकि जिला अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ व चमोली के लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

(4) संचार विभाग के इन जनपदों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण किया जाये, ताकि इन पुर्णम भुविधा-विहीन क्षेत्रों में कर्मचारी काम कर सकें।

(5) यहाँ कार्यरत समस्त केन्द्रीय कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता दिया जाये, क्योंकि यहाँ की सेवा-स्थितियों को देखते हुए प्रान्तीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता दिया जाता है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर संचार मंत्री जी से निवेदन है कि वह अविलम्ब ध्यान देने की कृपा करें।

(viii) NEED FOR FERTILIZER FACTORY AT CHITTORGARH.

प्रो० निरंला कुमारी शक्ताबत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रान्त में

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का अत्यधिक प्रभाव है। लम्बे समय से यह माँग की जाती रही है कि एक रसायन उर्वरक कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ डाला जाये। अभी हाल ही में तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने भी इस दृष्टि से राजस्थान का दौरा किया। मान्यवर, मेरा भी निवेदन है कि राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला सब तकनीकी दृष्टियों से सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है; क्योंकि :—

(1) चित्तौड़गढ़ के पास ही उदयपुर में झामर कोटड़ा नामक स्थान में प्रतिदिन 600 टन राक फ़ास्फ़ेट निकलता है, जो कच्चे माल के रूप में रसायन खाद बनाने के काम आता है। देश का 96 प्रतिशत राक फ़ास्फ़ेट राजस्थान से ही निकलता है, जिसे ढो कर दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है।

(2) इस रसायन खाद के कारखाने के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता है। राजस्थान के इसी भाग में सरफ़ेस वाटर उपलब्ध है। घोंमुण्डा नामक स्थान पर बेडच तदी पर बांध बन रहा है, इससे इस पानी को रोकना जायेगा। इस सरफ़ेस वाटर का पूरा पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है।

(3) अभी हाल ही में कोट-चित्तौड़गढ़ ब्राडगेज लाइन मंजूर हो गई है। अतः यदि यह रसायन उद्योग बहा होगा, तो माल को निकालने में किसी तरह की परेशानी नहीं पड़ेगी।

अतः इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उद्योग मंत्रालय का ध्यान दिखाना चाहूँगी कि राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का डाला जाना विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। रसायन उद्योग के लिए चित्तौड़गढ़ ही सब से उपयुक्त स्थान है। इस बात का ध्यान रखा जाये।